उत्तर प्रदेश सरकार

हर कदम मेरी सफलता की ओर
महिला सशक्तिकरण

unicef
for every child

बाल विवाह
को समाप्त करने के लिये तत्पर
उत्तर प्रदेश

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न एंव उत्तर

स्वाभिमान
बेटियों की उड़ान

FAQ_Child Marriage_27th Nov.indd 1 2019-12-09 15:22:34

बाल विवाह क्या है?

बाल विवाह ऐसा विवाह है जिसमें बंधने वाले दोनों या कोई एक पक्षकार 'अवयस्क' है यानि लड़की की उम्र 18 वर्ष से कम और लड़के की उम्र 21 वर्ष से कम है।

बाल विवाह क्यों होता है?

बाल विवाह पुराने काल से चली आ रही सामाजिक रूप से स्वीकृत प्रथा है जिसके पीछे बहुत सारे सामाजिक, पारिवारिक एवं व्यक्तिगत कारण हैं जैसे-

- समाज में बसे पितृसत्तात्मक सामाजिक सोच से जुड़ी लैंगिक असमानतायें।
- लड़कियों को बोझ माना जाता है एवं परिवार, समाज और समुदाय में कम अहमियत दी जाती है।
- महिलाओं की भूमिका केवल बच्चे पैदा करने और घरेलू कार्यों के लिये माना जाता है, इसलिये शिक्षा और दूसरे अवसर उन्हें कम मिलते हैं।
- लड़की को पराया धन माना जाता है और यह सोच कि वह परिवार में कोई आर्थिक योगदान नहीं देगी उसकी जल्दी शादी का एक कारण बनता है।
- गरीबी के कारण माता-पिता सोचते हैं कि कम उम्र में लड़की का शादी कर दें ताकि उसकी देखभाल की ज़िम्मेदारी उसके पति और ससुराल वाले उठायें।
- ज्यादा उम्र की लड़की के लिये ज्यादा दहेज देना होगा, यह सोचकर भी परिवार वाले लड़की की जल्दी शादी कर देते हैं।
- परिवार की 'इज्ज़त' लड़कियों के साथ जोड़ी जाती है और उसी इज्ज़त की रक्षा करने के लिये लड़कियों का बाल विवाह कर दिया जाता है।
- कई बार अवयस्क लड़के लड़कियां स्वयं शादी करने का फैसला ले लेते हैं। यह फैसला वे घर की मुश्किल परिस्थितियां जैसे गरीबी या पारिवारिक हिंसा से बचने के लिये, आज़ादी पाने की चाह में या घर छोड़ने की चाह के अंतर्गत ले लेते हैं।
- अवयस्क यौन व्यवहार पर सामाजिक रोक के कारण भी कई बार अवयस्क लड़के और लड़की शादी कर लेते है ताकि वे यौन संबंधी व्यवहार बिना रोक टोक के अपने साथी के साथ बना सकें।
- बहुत बार लड़कियों और परिवारों के पास विकल्पों की कमी के कारण भी बाल विवाह होता है। अगर अवयस्क लड़के लड़कियों के पास विकल्प होते हैं तो वे देर से शादी करते हैं।
- बाल विवाह के हानिकारक परिणामों के बारे में जानकारी की कमी के कारण भी यह प्रथा प्रचलित है।

क्या बाल विवाह से किसी मानव अधिकार का उल्लंघन होता है?

बाल विवाह बच्चों के मूलभूत अधिकारों का निर्मम उल्लंघन है। सभी बच्चों को परिपूर्ण देखभाल व सुरक्षा का अधिकार होता है। प्रत्येक बच्चे को एक पूर्ण और परिपक्व व्यक्ति के रूप में विकसित होने का अधिकार होता है जो बाल विवाह की वजह से क्षत-विक्षत हो जाता है। बाल विवाह से जिन अधिकारों का उल्लंघन होता है वो हैं-

FAQ_Child Marriage_27th Nov.indd 2 2019-12-09 15:22:34

स्वास्थ्य का अधिकार

शिक्षा का अधिकार

हिंसा एवं शोषण मुक्त जीवन का अधिकार

विकास का अधिकार

समानता का अधिकार

सहमति से विवाह का अधिकार

बाल विवाह से क्या नुकसान है?

बाल विवाह के कई नुकसान हैं विशेषकर लड़कियां इससे ज्यादा प्रभावित होती है। मुख्य परिणामों में से निम्न हैं-

- बाल विवाह से लड़कियों के स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ सकता है। जल्दी शादी फिर जल्दी गर्भधारण एवं प्रसव से किशोरी लड़कियों एवं उनके बच्चे दोनों की जान एवं सेहत खतरे में पड़ जाती हैं, क्योंकि लड़कियों में शारीरिक परिपक्वता उस उम्र में नहीं होती।
- 18 साल से पहले शादी करने वाली लड़कियां दूसरी लड़कियों की अपेक्षा घरेलू हिंसा का शिकार ज्यादा आसानी से होती हैं।
- बाल वधुयें अक्सर अपने माता-पिता, परिवार एवं संगी-साथियों से बिछड़ जाती हैं। इस तरह के पारिवारिक एवं सामाजिक अलगाव से उनके सामने नई कठिनाइयां पैदा हो जाती हैं जो सेहत, विकास और खुशहाली की ओर उनकी प्रगति को रोक देती हैं।
- बाल विवाह का असर लड़कों पर भी होता है। छोटी उम्र में जिन लड़कों की शादी हो जाती है, उनकी पढ़ाई छूट जाती है और वह बाल मजदूरी का शिकार बनते हैं। वे अनपढ़ एवं अकुशल रह जाते हैं जिससे रोज़गार विकास के सीमित अवसर मिलते हैं और वो ज़िन्दगी भर मजदूरी और गरीबी के चक्र में उलझ जाते हैं।
- छोटी उम्र में जब बच्चे खुद अपनी देखभाल नहीं कर पाते उनका विवाह कर उनके कन्धों पर पारिवारिक एवं सामाजिक ज़िम्मेदारियों का बोझ डाल दिया जाता है जिसको संभालने में वे सक्षम नहीं होते।
- बाल विवाह के कारण अक्सर जीवन कौशल जैसे कि निर्णय लेने की क्षमता, अपनी बातों को दूसरों के सामने रखने की क्षमता, आत्मविश्वास और बौद्धिक क्षमतायें पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाती।
- शिक्षा एवं सशक्तिकरण की कमी के कारण 18 वर्ष से कम उम्र में मातायें बनी महिलायें अपने बच्चों के हित की रक्षा करने में कम सक्षम रहती हैं। उनके बच्चों में बड़ी उम्र की महिलाओं के बच्चों के मुकाबले मृत्यु दर एवं पोषण और शिक्षा की स्थिति ज्यादा खराब होती है।

FAQ_Child Marriage_27th Nov.indd 3 2019-12-09 15:22:35

लड़कियों की शिक्षा एवं बाल विवाह का क्या संबंध है?

- स्कूल में नामांकन
  - 10-14 वर्ष की लड़कियों का स्कूलों में नामांकन 86 प्रतिशत है जबकि 15-19 वर्ष की अविवाहित लड़कियों में यह दर घटकर 52 प्रतिशत हो जाता है। 15-19 वर्ष की विवाहित लड़कियों का स्कूल में नामांकन केवल 5 प्रतिशत रह जाता है।
- 10 वर्ष या उससे अधिक शिक्षा पूरी करने वाली लड़कियों की संख्या में 10 प्रतिशत वृद्धि से:

बाल विवाह का दर

7 प्रतिशत तक घटता है।

लड़कियों की आर्थिक क्षमता कम से कम

10 प्रतिशत बढ़ती है।

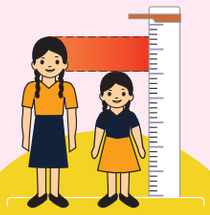

बच्चों में स्टंटिंग (बौनापन)

4 प्रतिशत तक घटता है।

बाल विवाह का शिशु मृत्यु दर, टीकाकरण एवं आय क्षमता से क्या संबंध है?

- 18 वर्ष से पहले विवाहित लड़कियों की आय क्षमता में 9 प्रतिशत तक की गिरावट पाई गई है।
- 18 वर्ष से पहले विवाहित लड़कियों के बच्चों का एक आवश्यक टीका छूटने की 68 प्रतिशत ज्यादा संभावना होती है।
- चार में से तीन 18 वर्ष से पहले विवाहित लड़कियों की मां बनने की संभावना अधिक होती है।
- बाल विवाह में 10 प्रतिशत कमी होने से शिशु मृत्यु दर में 4 प्रतिशत की कमी होती है।

बाल विवाह होना कितनी आम प्रथा है?

- पिछले दशक में बाल विवाह की संख्या में कमी आई है पर उत्तर प्रदेश में आज भी हर 10 में से 2 महिलाओं का विवाह 18 वर्ष से पहले हो जाता है। साथ ही 28.8 प्रतिशत पुरुष भी बाल विवाह के शिकार हैं। भारत में होने वाले सभी बाल विवाह में से 13.9 प्रतिशत बाल विवाह उत्तर प्रदेश में होते हैं।

FAQ_Child Marriage_27th Nov.indd 4 2019-12-09 15:22:35

क्या बाल विवाह कानूनी रूप से स्वीकृत है?

बाल विवाह हमारे देश में, प्रदेश में पूरी तरीके से गैर कानूनी है।

बाल विवाह की रोकथाम के लिये बनाये गये कानून का क्या नाम है?

बाल विवाह पर रोक संबंधी कानून सर्वप्रथम सन् 1929 में पारित किया गया था। बाद में सन् 1949, 1978 और 2006 में इसमें संशोधन किये गये। बाल विवाह की रोकथाम के लिये बनाये गये कानून का नाम है- 'बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006'। यह कानून 1 नवंबर 2007 में लागू किया गया।

बाल विवाह प्रतिषेध कानून में क्या है?

बाल विवाह प्रतिषेध कानून के अनुसार 18 साल से कम उम्र की लड़की और 21 साल से कम उम्र का लड़का बच्चा या नाबालिक है एवं इनका विवाह वैध नहीं है। बाल विवाह करना या करवाना संज्ञेय और गैर जमानती अपराध है।

बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अनुसार कौन से विवाह को बाल विवाह कह सकते हैं?

बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अनुसार बाल विवाह ऐसा विवाह है जिसमें-

- लड़की 18 वर्ष से कम है और लड़का 21 वर्ष या उससे अधिक उम्र का हो, अथवा
- लड़की 18 वर्ष से अधिक की है और लड़का 21 वर्ष से कम उम्र का हो, अथवा
- लड़की 18 वर्ष से कम उम्र की है और लड़का 21 वर्ष से कम उम्र का हो।

बाल विवाह होने की शिकायत कौन कर सकता है?

बाल विवाह होने की शिकायत निम्न में से कोई भी कर सकता है-

- किसी भी व्यक्ति को अगर जानकारी है कि बाल विवाह हो रहा है या होने जा रहा है या संपन्न हो चुका है तो उसके बारे में संबंधित अधिकारियों को सूचित करें।
- कोई भी गैर-सरकारी संस्था
- बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी

FAQ_Child Marriage_27th Nov.indd 5 2019-12-09 15:22:35

बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 किस पर लागू होता है ?

बाल विवाह प्रतिषेध कानून भारत के सभी नागरिकों पर लागू होता है। इसका विस्तार जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय सम्पूर्ण भारत पर है।

बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी कौन है ?

बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के अनुसार महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला अधिकारी को बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी घोषित किया गया है।

बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी के क्या कर्तव्य हैं ?

बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी के निम्न कर्तव्य हैं-

- बाल विवाह के आयोजन पर रोक लगाना।
- अधिनियम का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध प्रभावी अभियोजन प्रस्तुत करने हेतु साक्ष्य संग्रह करना।
- व्यक्तिगत मामलों अथवा क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों को बाल विवाह को प्रोत्साहित करने, उसमें सहायता करने या उसके आयोजन में सहयोग न करने के लिये जागरूक करना।
- बाल विवाह से होने वाले नुकसानों के प्रति समुदाय को संवेदनशील बनाना।
- राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु सामयिक प्रतिवेदन तथा आंकड़े तैयार करना।
- राज्य सरकार द्वारा समय समय पर दिये गये निदशों का पालन करना।
- विवाह निबंधन कार्यालय के अभिलेखों का समय समय पर निरीक्षण करना तथा अधिनियम का उल्लंघन कर बाल विवाह के आयोजन का मामला आने पर समुचित कार्यवाही करना।

बाल विवाह की सूचना किसको दे सकते हैं ?

बाल विवाह की सूचना कोई भी व्यक्ति निम्नलिखित को तत्काल दे सकता है-

- **पुलिस–100 डायल करें,** संबंधित पुलिस थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज करवा सकते हैं।
- बाल विवाह निषेध अधिकारी (संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट एवं तहसीलदार)।
- बाल विवाह निषेध अधिकारी द्वारा नियुक्त किये गये व्यक्ति एवं अधिकारी।

FAQ_Child Marriage_27th Nov.indd 6 2019-12-09 15:22:35

- प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट या मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट।
- बाल कल्याण समिति या उसके सदस्य।
- जिला मजिस्ट्रेट।
- चाइल्ड लाइन- डायल करें नम्बर 1098।
- महिला एवं बाल विकास विभाग के क्षेत्रीय अधिकारी/कर्मचारी/आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सरपंच आदि।

बाल विवाह संबंधी शिकायत कैसे कर सकते हैं?

बाल विवाह संबंधी शिकायत मौखिक या लिखित, फोन कॉल, चिट्ठी या टेलिग्राम, ई-मेल, फैक्स या हाथ से लिखे हुये कागज़ के रूप में उपयुक्त अधिकारियों को दी जा सकती है।

बाल विवाह के लिये दण्ड का क्या प्रावधान है?

जो लोग बाल विवाह को मंजूरी/ मान्यता या प्रोत्साहन देते हैं, उनको 2 साल की कड़ी जेल और/या 1 लाख रुपये का जुर्माना हो सकता है। किसी महिला को कारावास का दण्ड नहीं दिया जा सकता है।

बाल विवाह कानून में किन–किन को सजा हो सकती है?

बाल विवाह में शामिल होने वाले, करवाने वाले एवं प्रोत्साहित करने वाले अभिभावक, लड़के और लड़की के माता-पिता, बराती, शादी में शामिल रिश्तेदार, ऐसे विवाह को संरक्षण देने वाले जातिपंच या मुखिया, पण्डित/पादरी/मौलवी, ढोलक वाले, नाई, टेन्ट वाले, बैन्ड वाले, फोटोग्राफर, हलवाई, विवाह करवाने वाले बिचौलिये और विवाह के लिये किसी भी प्रकार की सेवायें देने वाले, सभी को सजा का प्रावधान है।

बाल विवाह को कैसे रद्द किया जा सकता है?

जिन बच्चों का बाल विवाह कर दिया जाता है, उन बच्चों को कानून ऐसे विवाह से मुक्ति का अधिकार देता है यानि वो अपने बाल विवाह को शून्य या रद्द करवा सकते हैं। बालक/बालिका के वयस्कता प्राप्त करने के पश्चात् 2 वर्ष पूर्ण करने के भीतर विवाह शून्य घोषित कराने की याचिका दायर की जा सकेगी। यदि कोई बच्चा 18 वर्ष से कम आयु का है और अपने विवाह को शून्य घोषित करवाना चाहता है तो वह अपनी याचिका को अपने अभिभावक/संरक्षक के साथ बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी के माध्यम से दायर कर सकता है।

FAQ_Child Marriage_27th Nov.indd 7 2019-12-09 15:22:35

किसी बाल विवाह को रद्द घोषित कराने के लिये कहां याचिका दी जा सकती है?

- बाल विवाह को रद्द या शून्य करवाने के लिये बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी (संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट एवं तहसीलदार) के सहयोग से जिला सत्र न्यायालय में प्रार्थना-पत्र लगा सकते हैं। बालिग व्यक्ति सीधे ही जिला न्यायालय में प्रार्थनापत्र लगा सकते हैं।
- प्रतिवादि या बच्चा जहां निवास करता है, उस क्षेत्र का जिला न्यायालय।
- जहां विवाह का आयोजन किया गया हो।
- जहां दोनों पक्ष अंतिम बार एक साथ रहें हों, या
- याचिका दायर करने की तिथि में याचिकाकर्ता का निवास स्थान।

बाल विवाह रद्द होने की स्थिति में प्रभावित बच्चों को गुज़ारा भत्ता देने का क्या प्रावधान है?

- बाल विवाह से प्रभावित बच्चों को **चिकित्सीय और कानूनी सहायता** सहित हर संभव सहायता प्राप्त करने का अधिकार है।

- यदि पति व्यस्क है तो बालिका वधु के **पुनर्विवाह तक उसके भरण–पोषण** का जिम्मा लेना होगा।

- यदि विवाह के समय पति भी नाबालिक है तो उसके **अभिभावकों को गुज़ारा भत्ता देना होगा।**

ऐसा बाल विवाह जो रद्द कर दिया गया हो, ऐसे विवाह से जन्मे बच्चे को वैध माना जायेगा?

- बाल विवाह से जन्मा या गर्भाहित प्रत्येक बच्चा, चाहे वो बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व या पश्चात पैदा हुआ हो, सभी प्रयोजनों के लिये धर्मज माना जायेगा। बाल विवाह रद्द होने पर अदालत उसके सर्वोत्तम हितों को ध्यान में रखते हुए उसकी अभिरक्षा पर निर्णय ले सकती है।

बाल विवाह शून्य घोषित होने पर क्या विवाह के समय लिये और दिये गये भेट/ उपहार, धन, गहने इत्यादि को दोनों पक्ष के लोग रख सकते हैं?

- बाल विवाह शून्य घोषित होने पर दोनों पक्षों के मध्य लेन-देन किये गये धन, कीमती वस्तुएं, गहने तथा अन्य उपहारों को भी वापिस किया जाना होगा अथवा इन वस्तुओं के मूल्य के बराबर रकम का भुगतान किया जाएगा। यह कार्रवाई सक्षम न्यायालय के द्वारा यथोचित आदेश जारी किये जाने के बाद ही की जा सकेगी।

FAQ_Child Marriage_27th Nov.indd 8 2019-12-09 15:22:36

क्या हम बाल विवाह के सामाजिक अनुष्ठान में अतिथि की तरह भाग ले सकते हैं?

- अगर आप किसी भी क्षमता में किसी बाल विवाह में उपस्थित या शामिल हुये हैं और उसमें भाग लिया है परंतु उसे रोकने के लिये कोई कदम नहीं उठाया है तो यह माना जाएगा कि आप उस बाल विवाह के समर्थक हैं और उसे बढ़ावा दे रहे हैं। ऐसे में आपको भी 2 साल की कड़ी सजा एवं/अथवा 1 लाख रुपये जुर्माना हो सकता है।

किन आधारों को ध्यान में रखते हुए बाल विवाह को रद्द या अमान्य घोषित किया जा सकता है?

- विवाह के समय व्यक्ति अवयस्क हो।
- यदि विवाह के लिये उसके माता-पिता/अभिभावक के संरक्षण एवं देख रेख से बाहर लाया जाता है।
- बाल विवाह के लिये ज़बरदस्ती या मजबूर किया जाता है।
- माता-पिता/अभिभावक द्वारा बहला-फुसलाकर, लालच देकर विवाह करवाया गया हो।
- विक्रय कर विवाह कराया जाता है या विवाह के बाद विक्रय किया जाता है।
- अनैतिक प्रयोजनों के लिये बेचा/उसका व्यापार/प्रताड़ित किया जाता है।

वयस्क पुरुष जिसने एक नाबालिक लड़की से विवाह किया है, क्या उसे ही सजा मिलेगी?

- एक वयस्क पुरुष के साथ साथ निम्न लोगों को भी सजा का प्रावधान है जो -

बाल विवाह को बढ़ावा देते हैं। | जो बाल विवाह करवाते हैं। | जो बाल विवाह करवाने का निर्देश देते हैं

बाल विवाह को समाप्त करने में सरकार की क्या भूमिका है?

- विवाह के न्यूनतम उम्र को लागू करना सुनिश्चित करें।
- विवाह में दोनों लड़के और लड़की के स्वेच्छा एवं रज़ामंदी का सत्यापन।
- सभी विवाह का अनिवार्यतः पंजीकरण।
- ज़बरदस्ती बाल विवाह कराने वाले लोगों को सजा दिलवाना सुनिश्चित करना।
- सभी बाल विवाह को अमान्य घोषित करने की प्रक्रिया सुनिश्चित करना।
- हर जन्म का पंजीकरण सुनिश्चित करना।

FAQ_Child Marriage_27th Nov.indd 9 2019-12-09 15:22:36

बाल विवाह को समाप्त करने में युवा एवं बच्चों की क्या भूमिका है?

- कानूनी उम्र से पहले विवाह न करें।
- अपनी पढ़ाई अपने स्वास्थ्य एवं शिक्षा पर पूरा ध्यान देंगे।
- अगर किसी के बाल विवाह होने की संभावना का पता लगता है तो उसे रोकने के लिये सारे प्रयास करें।
- अपने साथियों को पढ़ाई पूरी करने के लिये प्रोत्साहित और सहयोग करें।
- बाल विवाह रोकने हेतु जीवन कौशल सीखें।
- साथी समूह बाल विवाह रोकने के लिये सक्रिय रूप से कार्य करें।

बाल विवाह को रोकने में प्रधान एवं पंचायत की क्या भूमिका हो सकती है?

बाल विवाह रोकने में पंचायत एवं ग्राम प्रधान की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है-

- बाल विवाह पर जागरुकता कार्यक्रम का आयोजन कर बाल विवाह से नुकसान, कानून के बारे में जानकारी बढ़ाना।
- ग्राम स्तर पर बैठकों का आयोजन कर अवयस्कों के लिये चल रहे योजनाओं को प्रभावी बनाने के लिये कार्ययोजना बनाना एवं कार्ययोजना के क्रियान्वयन की नियमित समीक्षा करना।
- स्कूल प्रबन्धन समिति के साथ मिलकर यह सुनिश्चित करना कि सभी बच्चों की स्कूल में उपस्थिति नियमित बनी रहे एवं उनकी शिक्षा पूरी हो रही है।
- जो स्कूल नहीं जा रहे हैं अथवा जिनका स्कूल छूट गया है, ऐसे सभी बच्चों का पता लगाना कि कही उनका बाल विवाह तो नहीं हो रहा या हो चुका।
- बाल विवाह रोकने हेतु सरकार द्वारा चलाये जा रहे कार्यक्रमों से वंचित परिवारों को जोड़ना।
- लिंग समानता को बढ़ावा देने वाली, बिना लागत और कम लागत वाली गतिविधियों (पढ़ाई के अवसर, दहेज प्रथा, भ्रूण हत्या, उत्पीड़न पर जागरुकता इत्यादि को ग्राम पंचायत विकास योजना में शामिल करना)।
- लड़कियों को माध्यमिक, उच्च शिक्षा संस्थानों तक पहुंचाने के लिये परिवहन सुविधा की लागत को ग्राम पंचायत विकास योजना में शामिल कराना और इस व्यवस्था को लागू कराना।
- उन परिवारों को जो बेटी के जन्म का उत्सव मनाते हैं, जो ''न दहेज लें और न दहेज दे'' की सोच रखते है, जो किसी भी बाल विवाह में शामिल होने के लिये सहमत नहीं होते, ऐसे परिवारों को सार्वजनिक रूप से प्रोत्साहित करें।
- लड़कियों को खेलने का स्थान और कौशल प्रशिक्षण के अवसर प्रदान करने के लिये ग्राम पंचायत विकास योजना में गतिविधियां और लागत शामिल करें।

FAQ_Child Marriage_27th Nov.indd 10 2019-12-09 15:22:36

- विवाह करने हेतु बालिका की स्वीकृति होना अनिवार्यतः सुनिश्चित करायें।
- ग्राम सभा या सामुदायिक बैठकों में बच्चों के मौलिक/विविध अधिकारों पर चर्चा करें।
- बाल विवाह की सूचना मिलने पर पुलिस को सूचित करें एवं बाल विवाह रोकें।
- अगर गरीबी के कारण परिवार वाले बाल विवाह करवा रहें हैं तो पंचायत उस परिवार को सामाजिक सुरक्षा योजना जैसे मनरेगा, स्वयं सहायता समूह/स्वरोज़गार इत्यादि से जोड़ने में मदद करें।
- बाल विवाह रोकथाम के लिये उपलब्ध कानून एवं सरकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार।

बाल विवाह को समाप्त करने में समुदाय, समूह व संगठनों की क्या ज़िम्मेदारी है?

- समुदाय बाल विवाह को पूरी तरीके से बहिष्कृत करे एवं किसी भी तरीके से इसके भागीदार न बने।
- जहां कहीं भी बाल विवाह हो रहा होगा, समुदाय उस बाल विवाह को रोकने में सक्रिय भूमिका निभायें।
- सामुदायिक स्तर पर प्रभावशाली व्यक्ति शादी के अलावा लड़कियों के लिये अन्य विकल्पों का समर्थन करें।
- बाल विवाह के प्रभावों, विवाह की सही उम्र, बाल विवाह निषेध कानून को जानें।
- विभिन्न सामाजिक कार्यक्रम/योजना जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, एवं अन्य ऐसी योजनायें जो लड़कियों को स्कूल में बनाये रखने एवं स्कूल से रोज़गार के विकल्पों के बारे में जाने।
- लड़कियां साथी समूह के माध्यम से और एकजुटता से एक दूसरे का सहयोग करें।
- ग्राम स्तरीय स्वयं सहायता समूह बाल विवाह रोकने के लिये समूह सदस्यों द्वारा समुदाय एवं परिवारों को प्रेरित कर सकते हैं।
- ग्राम स्तरीय स्वयं सहायता समूह की बैठकों में बाल विवाह के विषय पर नियमित चर्चा सुनिश्चित करें एवं किसी भी बाल विवाह की जानकारी मिलने पर सदस्य सक्रियता से समूह को सूचित करें। जानकारी मिलने पर समूह उचित कार्यवाही करे।

बाल विवाह को समाप्त करने में धर्मगुरूओं की क्या ज़िम्मेदारी है?

बाल विवाह कराने जा रहे परिवारों को ऐसा करने से रोंकेंगे।

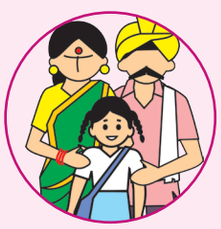

कम उम्र के बच्चों की शादी नहीं करायेंगे।

FAQ_Child Marriage_27th Nov.indd 11 2019-12-09 15:22:36

बाल विवाह को समाप्त करने में माता–पिता/परिवार/अभिभावक की क्या ज़िम्मेदारी है?

- दहेज न दे एवं बच्चे को पढ़ाई पूरी करने के समान अवसर दें, उनका बाल विवाह न करें।
- अपने बेटे और बेटियों के ज़रुरतों, अधिकार की समान सुरक्षा करें। चाहे लड़का हो या लड़की दोनों की तरफ पूरा ध्यान दें, पढ़ने, खेलकूद के पूरे अवसर दें।
- बाल विवाह के प्रभावों, विवाह की सही उम्र, बाल विवाह निषेध कानून को जानें।
- विभिन्न सामाजिक कार्यक्रम/योजना जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, एवं अन्य ऐसी योजनायें जो लड़कियों को स्कूल में बनाये रखने एवं स्कूल से रोज़गार के विकल्प के बारे में जाने।
- बेटियों के लिये घर में सुरक्षा का माहौल दें। जीवन के महत्वपूर्ण समय में उन्हें अपने फैसले खुद करने में सक्षम बनायें।
- कानून के दबाव में नहीं बल्कि स्वेच्छा से बाल विवाह को रोकना अपनी नैतिक ज़िम्मेदारी समझे।

क्या लड़के बाल विवाह रोकथाम में सहयोग कर सकते हैं?

- बाल विवाह से लड़कों को भी अत्यधिक नुकसान है। उनकी भी पढ़ाई छूट जाती है, कम उम्र में पारिवारिक ज़िम्मेदारियों का बोझ उनके कंधों पर आ जाता है और वो जीवन कौशल सीखने से वंचित रह जाते हैं एवं गरीबी के दल दल में फंसे रहते हैं। दूसरी तरफ भारतीय समाज मुख्यतः पितृसत्तात्मक समाज होने के कारण, शादी के अहम फैसले पुरुषों के हाथ में है। इस कारण लड़के अगर खुद बाल विवाह के लिये मना करें और घर के परुषों से बात करें तो बाल विवाह के दर में बहुत कमी आ सकती है।

बाल विवाह रोकथाम के लिये शिक्षक की क्या ज़िम्मेदारी है?

- स्कूल शिक्षक एवं प्रधानाचार्य यह सुनिश्चित करे कि स्कूली नामांकन 100 प्रतिशत हो।
- बच्चों की लगातार अनुपस्थिति या स्कूल छोड़ने पर पूर्व माध्यमिक, एवं उच्च माध्यमिक कक्षाओं के अध्यापक विशेष ध्यान दें एवं रिपोर्ट करें।
- स्कूल प्रबन्धन समिति की नियमित बैठक करें एवं समुदाय में बाल विवाह के संभावित प्रकरणों की निगरानी करने के लिये प्रेरित करें, विशेषकर शादियों के मौसम के पहले एवं उसके दौरान।
- शिक्षकों की बाल विवाह की पहचान और सूचना देने में संवेदीकरण करें।

FAQ_Child Marriage_27th Nov.indd 12 2019-12-09 15:22:36

बाल विवाह रोकने में पुलिस एवं कानून व्यवस्था की क्या ज़िम्मेदारी है?

- अगर पुलिस को सूचना मिलती है कि बाल विवाह हो गया है तो पुलिस कोर्ट में अर्जी फाइल करे और ऐसे विवाह का शुन्यीकरण सुनिश्चित करवा सकती है।
- सभी पुलिस कर्मी का बाल विवाह पर संवेदीकरण होना चाहिए एवं बाल विवाह निषेध अधिनियम कानून के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए।
- बाल विवाह कानून का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करें और कानूनी सलाह, आश्रय ग्रह, एवं स्वास्थ्य सहायता उपलब्ध कराने के लिये उपयुक्त विभागों से समन्वय बनायें।
- सभी बच्चों का जन्म पंजीकरण अनिवार्यतः करवाने के लिये ज़ोर दें एवं विवाह से पहले लड़की एवं लड़के की उम्र की जांच करें।

बाल विवाह समाप्त करने के लिये मुख्य संदेश

- बाल विवाह मानव अधिकारों का उल्लंघन है। जबकि कानून, संविधान और धर्म के अनुसार सभी समान है चाहे व्यक्ति किसी भी लिंग, धर्म, जाति का हो। आओ मिलकर बच्चों के अधिकारों को सुरक्षित करें।
- हम ये सोचे कि हमारा एवं परिवार का सम्मान किसमें है? अनपढ़, अशिक्षित, शोषित लड़कियों में या पढ़ी लिखी सक्षम लड़कियों में। अगर लड़का डॉक्टर, इंजीनीयर, आईएएस इत्यादि बन जाये तो माता–पिता कितना गर्व महसूस करते हैं, यही उपलब्धि अगर बेटी की हो तो क्या कम गर्व होगा? आओ मिलकर लड़कियों को अपना गर्व माने।
- लडकियां पराई नहीं होती और उनको शिक्षा, सम्पूर्ण विकास एवं सुरक्षा के समान अधिकार एवं अवसर दें। आओ मिलकर लड़कियों को अपना धन माने।
- बाल विवाह की वजह से बाल मजदूरी को बढ़ावा मिलता है और हम समाज में एक अशिक्षित और असक्षम युवा वर्ग को तैयार करते है। आओ मिलकर इस चक्रव्यूह को तोड़े।

FAQ_Child Marriage_27th Nov.indd 13 2019-12-09 15:22:36

बाल विवाह से जुड़े कुछ स्लोगन

- शिक्षा को हां बाल विवाह को ना
- माथे का शिकन नहीं, तिलक हैं बेटियां
- बेटा हो या बेटी, रहे समान, बढ़े सम्मान
- पढ़े बेटियां, तभी तो बढ़े बेटियां
- बेटी को पराया धन नहीं, अपना धन माने
- छोटी उम्र में विवाह की ज़िम्मेदारी, लड़का लड़की दोनों पर भारी
- मौके की है मुझे तलाश, मैं भी छू सकती हूं आकाश
- माता–पिता हो भागीदार बच्चे बने ज़िम्मेदार
- सही उम्र में ब्याह रचें, खुश रहें स्वस्थ रहें

बाल विवाह समाप्त करने के लिये विशेष वर्ग द्वारा शपथ

माता–पिता, अभिभावक–

1. हम छोटी उम्र में बच्चों का विवाह नहीं करेंगे।
2. चाहे लड़का हो या लड़की, दोनों की तरफ पूरा ध्यान देंगे, घर में समान महत्व देंगे, पढ़ने एवं खेलने कूदने के पूरे एवं समान अवसर देंगे।
3. बेटियों के लिये घर, स्कूल में सुरक्षा का माहौल देंगे। उन्हें अपने फैसले खुद करने में सक्षम बनायेंगे।

किशोर–किशोरियां –

1. हम कानूनी उम्र से पहले विवाह नहीं करेंगे न किसी और को करने देंगे।
2. अपनी पढ़ाई, स्वास्थ्य एवं शिक्षा पर पूरा ध्यान देंगे।
3. अपने साथियों को पढ़ाई पूरी करने के लिये प्रोत्साहित और सहयोग करेंगे।

FAQ_Child Marriage_27th Nov.indd 14 2019-12-09 15:22:36

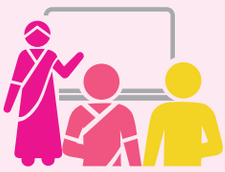

शिक्षक–

1. हम स्कूल में हर बच्चे की शिक्षा पूरी हो, इसके लिये पूरे प्रयास करेंगे।
2. हम बाल विवाह को रोकने एवं शिक्षा को जारी रखने में मदद करने वाली सभी सरकारी योजनाओं के बारें में दूसरों को जागरूक करेंगे।
3. हम बच्चों को प्रोत्साहित करेंगे कि वे अपना एवं दूसरे बच्चों का बाल विवाह न होने दें।

पंडित, विवाह व्यवसाय से जुड़े लोग–

1. हम बाल विवाह नहीं करायेंगे न ही छोटी उम्र में गर्भधारण का समर्थन करेंगे।
2. बाल विवाह का समर्थन करने वाले परिवारों को उसके खिलाफ समझायेंगें।

जन साधारण–

1. हम कभी बाल विवाह में भागीदार नहीं बनेंगे।
2. जहां कहीं भी बाल विवाह हो रहा होगा, हम उस बाल विवाह को रोकेंगे।
3. ना हम बाल विवाह का और ना छोटी उम्र में गर्भधारण का समर्थन करेंगे।
4. हम समुदाय के लोगों को जागरूक करेंगे कि हर लड़का/लड़की को अपने विवाह संबंधी फैसले लेने का अधिकार मिलना चाहिए।

बाल विवाह समाप्त करने के लिये सामान्य शपथ

हम संकल्प लेते हैं कि न हम बाल विवाह करेंगे न होने देंगें। बेटा हो या बेटी, दोनों को समान रूप से पढ़ायेंगे, दोनों में कोई भेद भाव नहीं करेंगे। बेटियों के लिये सुरक्षित वातावरण का निर्माण करेंगे। हम अपने गांव, ब्लॉक, जनपद एवं प्रदेश को बाल विवाह मुक्त बनायेंगे।

FAQ_Child Marriage_27th Nov.indd 15 2019-12-09 15:22:36

FAQ_Child Marriage_27th Nov.indd 16 2019-12-09 15:22:36